पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

महाप्रबंधक कार्यालय
जनसम्पर्क विभाग
जबलपुर

जुलाई माह में टिकट चैकिंग से 10 करोड़ 58 लाख का राजस्व प्राप्त

गतवर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक राजस्व

जबलपुर 14 अगस्त। पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक के मार्गदर्शन एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देश पर तीनों मण्डलों में यात्री गाड़ियों एवं स्टेशनों पर समय-समय पर चलाए गए टिकट जांच अभियानों में चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई 2025 में कुल 1 लाख 57 हजार मामले पकड़े और अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 10 करोड़ 58 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष 1 लाख 45 हजार मामले पकड़े और वसूला गया अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना 7 करोड़ 99 लाख रूपये की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत मामले और 32 प्रतिशत राजस्व अधिक है। साथ ही रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य 09 करोड़ 60 लाख को भी पार किया है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम मध्य रेलवे को टिकट चैकिंग से अप्रैल 2025 में कुल 1 लाख 48 हजार मामले पकड़े और अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 10 करोड़ 30 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया। मई 2025 में कुल 1 लाख 96 हजार मामले पकड़े और अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 14 करोड़ 49 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया। जून 2025 में कुल 2 लाख 14 हजार मामले पकड़े और अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 15 करोड़ 93 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया।

चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह में मुख्यालय एवं मंडलों स्तर पर परफॉरमेंस इस प्रकार है:-

मुख्यालय सीसीएम स्क्वाड द्वारा मुख्यालय के टिकट निरीक्षकों ने टिकिट जाँच अभियान से बिना टिकिट/अनबुक्ड लगेज/अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 3 हजार 400 प्रकरण से रेलवे ने 20 लाख रुपये का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया, जो पिछले वर्ष वसूला गया जुर्माना 14 लाख रूपये की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है।

जबलपुर मण्डल के टिकट निरीक्षकों ने टिकिट जाँच अभियान से बिना टिकिट/अनबुक्ड लगेज/अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 78 हजार प्रकरण से रेलवे ने 5 करोड़ 67 लाख रुपये का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया, जो पिछले वर्ष वसूला गया जुर्माना 3 करोड़ 36 लाख रूपये की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है।

भोपाल मण्डल के टिकट निरीक्षकों ने टिकिट जाँच अभियान से बिना टिकिट/अनबुक्ड लगेज/अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 46 हजार प्रकरण से रेलवे ने 2 करोड़ 82 लाख रुपये का जुर्माना यात्रियों से वसूल किया, जो पिछले वर्ष वसूला गया जुर्माना 2 करोड़ 65 लाख रूपये की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है।।

कोटा मण्डल के टिकट निरीक्षकों ने टिकिट जाँच अभियान से बिना टिकिट/अनबुक्ड लगेज/अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के विरुद्ध 29 हजार प्रकरण से रेलवे ने 1 करोड़ 88 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया, जो पिछले वर्ष वसूला गया जुर्माना 1 करोड़ 84 लाख रूपये की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना टिकट यात्रा ना करें। उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वाणिज्य विभाग एवं आरपीएफ के समनव्य से पश्चिम मध्य रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के उद्धेश्य से ट्रेनों में टिकट चैकिंग अभियान आगे भी चलाये जाते रहेंगे।

संख्या : पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/298/2025 दिनांक 14.08.2025

सम्माननीय संपादक, कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग प्रदान करें।

मुख्य जनसंपर्क अधिकार
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर